उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद

कार्यालय–म0सं0–01, लेन नं0–06, पुष्प कुंज कॉलोनी, मोथरावाला रोड़, देहरादून–248121
फोन स0 0135–2975030
uttarakhandparamedicalcouncil3@gmail.com

पत्रांक:–र–20 / उ0परा0चि0प0 / 111 / 2021 / 19543 दिनांक 02 जनवरी, 2025

सेवा में

प्राचार्य / प्रधानाचार्य,
क्वांटम स्कूल ऑफ हैल्थ साईन्सेज,
क्वांटम विश्वविद्यालय, रूडकी, हरिद्वार।

विषय– उत्तराखण्ड राज्य में परा–चिकित्सकीय संस्थानों / विश्वविद्यालयों में परा–चिकित्सकीय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2009 की धारा 20 एवं उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद विनियम, 2014 के विनियम 17 भाग–ग के उपविनियम 06 पैरा 08 (आठ) के कम में उत्तराखण्ड राज्य में संचालित निजी / सरकारी पैरा–मेडिकल विश्वविद्यालय / संस्थान में परा–चिकित्सकीय पाठ्यकमों के संचालन हेतु उत्तराखण्ड परा–चिकिसा परिषद कार्यालय के पत्रांक–र–20 / उ0परा चि0प0 / 111 / 2021 / 19524 दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 के कम में दिनांक 26.12.2024 को संस्थान का निरीक्षण दल द्वारा स्थलीय / भौतिक निरीक्षण किया गया।

2– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, के शासनादेश संख्या–139 / XXVIII(6) / 2021–11(पैरा0) / 2020 दिनांक–30 मार्च, 2021, शासन, के शासनादेश संख्या–41 / XXVIII(6)2024 दिनांक–08 फरवरी, 2024 एवं शासनादेश संख्या–452 / XXVIII–6 / 2024 दिनांक–28 नवम्बर, 2024 द्वारा संस्थान को निम्नलिखित परा–चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालनार्थ अनापत्ति / अनुमति प्रदान की गई है:–

क्र0सं0	संस्थान का नाम	स्वीकृत पाठ्यक्रम	पूर्व से स्वीकृत सीटों की संख्या	शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु सीट वृद्वि	कुल सीटों की संख्या
01	क्वांटम स्कूल ऑफ हैल्थ साईन्सेज, क्वांटम विश्वविद्यालय, रूडकी, हरिद्वार।	बी0एम0एल0टी0	30	–	30
		बी0पी0टी0	30	–	30
		बी0एम0आर0आई0टी0 (सीटवृद्वि)	30	10	40
		बी0एस0सी0ऑप्टोमैट्री (नवीन पाठ्यकम)	–	30	30

3– उपरोक्तानुसार संस्थान द्वारा उक्त 04 पाठ्यकमों के वर्ष 2024–25 में संचालनार्थ मान्यता हेतु परिषद कार्यालय में किये गये आवेदन के कम में इस हेतु निरीक्षण दल द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त दस्तावेज, शपथ पत्र एवं दी गई संस्तुति के आधार पर संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु उक्त परा–चिकित्सकीय पाठ्याकमों के संचालन हेतु अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

4– आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो संस्थान का स्थलीय आँचक निरीक्षण किया जाएगा। उक्त दस्तावेजों के अनुसार व्यवस्थायें पूर्ण नहीं पायी जाती है तो इस सम्बन्ध में नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय

सचिव / रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद।

Scanned with OKEN Scanner